

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-22/08/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-01 एवं 02 के वन प्रक्षेत्रों तथा प्रमंडलीय कार्यालयों में उपयोग किये जाने वाले सामग्रियों एवं उपस्करों के क्रय हेतु कुल ₹48.38 लाख (अड़तालिस लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-01 एवं 02 के वन प्रक्षेत्रों तथा प्रमंडलीय कार्यालयों में उपयोग किये जाने वाले सामग्रियों एवं उपस्करों के क्रय हेतु कुल ₹48.38 लाख (अड़तालिस लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-01 एवं 02 के वन प्रक्षेत्रों तथा प्रमंडलीय कार्यालयों में उपयोग किये जाने वाले सामग्रियों एवं उपस्करों के क्रय किये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-578 दिनांक-23.06.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, मांग संख्या-19, उप शीर्ष-0112-प्राकृतिक वनों का विकास, विपत्र कोड-19-2406011010112, विषय शीर्ष- 0112.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-01 एवं 02, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति, प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
11. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
12. संचिका संख्या-207/2025 के पृष्ठ-06/टि० पर दिनांक-11.8.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-21.08.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
13. योजनाओं की सम्बन्धित संचिका संख्या-147/2025 के पृष्ठ-13/टि० पर दिनांक-21.08.25 को अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति एवं संचिका संख्या-207/2025 के पृष्ठ-08/टि० पर दिनांक-22.08.25 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासमार्जन

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-207/2025-4630/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 22/08/2025

प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-207/2025-4630/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 22/08/2025

प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, अंचल कार्यालय, बेतिया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक वनों के विकास राज्य योजना के सामग्री मद में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1 एवं प्रमंडल-2 के अन्तर्गत वन्यप्राणी सुरक्षा एवं गश्ती एवं अनुश्रवण इत्यादि के लिये सामग्री हेतु प्रस्ताव।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-01

क्र०सं०	सामग्री का नाम	प्रति अदद दर	कार्यालय/प्रक्षेत्र का नाम/उपयोग हेतु उपकरण की विवरणी।				कुल अदद	कुल राशि	अभियुक्ति
			प्रमण्डलीय कार्यालय	मंगुराहा	गोबर्धना	रधिया			
1	Portable Led Light Tower	696200	0	1	0	1	2	1392400	Anx- I
2	Desktop for M-STRIPES	263140	0	1	0	0	1	263140	
3	CCTV Camera (Solar)	11301	0	2	1	3	6	67806	
4	Material Handling Equipment for Man-Wildlife Conflict	401200	0	1	0	0	1	401200	
5	Trap Cage for Leopard	88000	0	2	0	0	2	176000	
6	Megaphone	5490	0	4	0	0	4	21960	
7	Invertor	9100	1	0	1	0	2	18200	
8	Battery	13950	1	3	2	0	6	83700	
9	Projector with Wi-Fi	58000	0	1	0	0	1	58000	
10	Water R.O.	28150	0	1	2	1	4	112600	
11	Meeting Chair, Table, Stand Fan (Chair-75, Table-7, Fan-4)	162200	0	0	0	0	0	162200	
12	Outdoor Furniture in Tourism Area	19999	0	0	4	0	4	79996	
Subtotal: -								2837202	

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2

S.No.	Item	Quantity	Rate	Total	Remarks
1	Portable Led Light Tower	2	696200	1392400	Anx- II
2	Honda Generator	5	34800	174000	
3	Garmin GPS ETREX 10	5	15500	77500	
4	Celestron Outland 10*42 MM Roof Prism Binocular	11	10150	111650	
5	Celestron Nature D*12*56 Roof Binocular	1	25200	25200	
6	Megaphone	6	5490	32940	
7	Spraying Machine	15	12500	187500	
Sub Total:-				2001190	
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष अंचल का कुल योग:-				48,38,392	

Technical Sanction accorded for Rs. 48,38,392/ (Forty-eight lakh thirty-eight thousand three hundred ninty two only)

T.A. Granted for Rs. 48,38,392/- Only.

Director
Ecology & Environment, Patna

Conservator of Forest-cum-Field Director
Valmiki Tiger Reserve.